राज्य योजनान्तर्गत

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)

वर्ष 2024–25

कार्य योजना की अवधि– 1 वर्ष
कार्य योजना संचालन का स्थल–75 जनपद

कार्य योजना पर व्यय–

चारा उत्पादन सामग्री के वितरण पर व्यय	– रू0 200.00 लाख
कुल योग	– रू0 200.00 लाख

(रू0 दो सौ लाख मात्र)

पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

कार्य योजना

उद्देश्य एवं रूपरेखाः–

मानव जनसंख्या में उत्तरोत्तर हो रही बृद्धि के कारण कृषकों/पशुपालकों द्वारा खाद्यान्न फसलों को प्राथमिकता दिये जाने से चारा फसलों के क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है, जिससे पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या रहती है। जिसके फलस्वरूप पशुओं का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने नस्ल क्षमता के अनुरूप उत्पादन नही कर पाते हैं, जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से किसान की आमदनी एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार उ0प्र0 में 190.19 लाख गोवंशीय पशु, 330.16 लाख महिषवंशीय पशु, 9.84 लाख भेड, 144.80 लाख उपलब्ध है।

प्रदेश में पाये जाने कुल पशुधन संख्या हेतु आवश्यक हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की सभी श्रोतों को मिलाकर कुल आंकलित उपलब्धता लगभग 55.85 प्रतिशत हरा चारा, 78.89 प्रतिशत सूखा चारा एवं 13.43 प्रतिशत दाना ही प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार 44.15 प्रतिशत हरे चारे, 21.11 प्रतिशत सूखे चारे एवं 84.57 प्रतिशत दाने की कमी है। प्रदेश में पाये जाने वाले कुल पशुधन संख्या को केवल हरे चारा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के अन्तर्गत कुल कृषिकृत क्षेत्रफल का लगभग 8.19 प्रतिशत (14.00 लाख हे0) क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में खरीफ में 445310 हे0, रबी में 170112 हे0 एवं जायद में 155154 हे0 क्षेत्रफल तथा कुल मिलाकर 770576 हे0 क्षेत्रफल में चारा फसलों की खेती की जा रही है। उ0प्र0 में कुल बोये जाने वाले कृषि क्षेत्रफल का लगभग 4.64 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 7.70 लाख हे0) ही चारा उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। प्रदेश में उपलब्ध चारा क्षेत्रफल का लगभग 78.28 प्रतिशत(6.03 लाख हे0) भाग सिंचित है।

चारे के अन्तर्गत सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में आवश्कता के सापेक्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा क्षेत्रफल में विस्तार किया जाना, उच्च गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती की आधुनिक प्रणाली (मिश्रित एवं अर्न्तवर्ती खेती) अपनाकर चारा उत्पादन किया जाना सकारात्मक विकल्प है।

गुणवत्तायुक्त उन्नतशील प्रजातियों के चारा बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकांश चारा फसलें चारा बीज उत्पादन में लाभकारी न होने के कारण कृषकों/पशुपालकों द्वारा खेती करने में रूचि नही ली जाती। चारा बीजों की सुनिश्चित खरीद के साथ–साथ लाभकारी मूल्य प्राप्त न होना भी मुख्य समस्या है। वर्तमान में चारा बीजों की आंकलित आवश्यकता एवं उपलब्धता निम्न तालिका में अंकित है–

(कुन्टल में)

क्र0सं0	मौसम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1	खरीफ/जायद	190527	274.62	190252.38
2	रबी	61230	8540.36	52689.64
योग		**251757**	**8814.98**	**242942.02**

खरीफ/जायद में लगभग 1.90 लाख कु0 एवं रबी में 0.61 लाख कु0 तथा कुल 2.42 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता होती है। विभागीय प्रक्षेत्रों से चारा बीज की उक्त आवश्यकता के सापेक्ष लगभग 9000.00–10000.00 कु0 चारा बीज की ही आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। शेष 2.41 लाख कुंटल चारा बीज की प्रदेश में कमी है जिसकी पूर्ति पशुपालक निजी स्रोतों एवं स्थानीय बाजारों से क्रय कर करते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में चारे की कमी के दृष्टिगत अधिक से अधिक पशुपालकों/कृषकों को हरे चारे के उत्पादन में रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमाणित/सत्यापित/अधिसूचित चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य योजना के अधीन अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम संचालित कराये जाने हेतु प्रदेश में उपलब्ध पशुधन हेतु समस्त 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे० तथा अधिकतम

0.5 हे० क्षेत्रफल हेतु अनुमानित रू0 500.00 प्रति इकाई (0.1 हे० क्षेत्रफल) की दर से चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध कराये जाने हेतु विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	उपलब्ध करायी जाने सामर्ग्री	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख में)
1	2	3	4
1	चारा बीज मिनीकिट	4000.00	200.00
कुल योग		**4000.00**	**200.00**

उक्त तालिका के अनुसार चारा बीज मिनीकिट वितरण हेतु धनराशि रू0 200.00 लाख की मांग प्रस्तावित की जा रही है। उक्त कार्य योजना वर्ष 2024–25 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुमानित 40000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन हेतु प्रत्येक जनपद की भौगोलिक स्थिति, सिंचित दशा तथा फसल सीजन के अनुसार चारा उत्पादन मिनीकिट पशुपालकों/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में मुख्यतः पशुपालन का कार्य लघु एवं सीमांत कृषकों/पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में योजना को व्यापक रूप से पशुपालकों के लाभोन्मुखी बनाने हेतु न्यूनतम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 सीलिंग निर्धारित की गयी है। जनपदवार लाभार्थियों की संख्या, आच्छादन लक्ष्य, **परिशिष्ट–01** पर संलग्न है।

उक्त कार्य योजना वर्ष 2024–25 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

योजना के उद्देश्यः–

1– प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने में सहायता करना।
2– पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3– पशुओं हेतु वर्ष पर्यन्त हरा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना।
4– पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
5– पशुओं के मृत्यु दर में कमी आयेगी।
6– हरे चारे का उत्पादन बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।
7– वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता होने की दशा में निराश्रित गोवंशों की संख्या में कमी आयेगी।

योजना का कियान्वयनः–

1– प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।
2– 75 जनपदों में कुल 40000 पशुपालकों का चयन कर अनुमानित 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त हरा चारा आच्छादन किया जाना प्रस्तावित है।
3– कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 क्षेत्रफल तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल में बुवाई हेतु चारा उत्पादन मिनीकिट पशुपालकों/कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
4– कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों को खरीफ/रबी/जायद हेतु कुल अनुमानित रू0 5000.00 प्रति हे0 की दर से चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध कराया जायेगा।
5– यदि किसी लाभार्थी द्वारा 0.1 हे0 से अधिक तथा 0.5 हे0 तक चारा बीज लिये जाने पर अथवा चारा बीज के मूल्य में बृद्धि या कमी होने पर लाभार्थियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
6– चारा प्रजातियों में मुख्यतः उन्नत प्रजातियों की बहुकटाई वाली चरी, मक्का, लोबिया, बाजरा, जई, बरसीम का बीज आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
7– बजट की उपलब्धता के अनुसार चारा उत्पादन हेतु चारा बीज मिनीकिट का वितरण खरीफ/रबी अथवा जायद सीजन में कराया जायेगा।
8– चारा बीज मिनीकिट की उपलब्धता राज्य/केन्द्र सरकार के उत्पादक संस्थाओं/उपक्रमों के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी। यदि उक्त संस्थाओ/उपक्रमों से चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध न होने की दशा में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

9– **प्रस्तावित कार्यक्रम पूर्णतयः मौसम आधारित है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के समय जो मौसम (खरीफ/रबी/जायद) चारा फसलों के अनुकूल होगा, उसी फसल के चारा बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

पात्रता की शर्तेः–

1– लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों/पशुपालकों को वरीयता दी जायेगी। लाभार्थी चयन के समय लाभार्थी का आधार कार्ड एव खतौनी की छायाप्रति लेना अनिवार्य होगा।

2– पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कृषक/पशुपालक कम से कम 02 बडे दुधारु पशु पालता हो एवं चारा उत्पादन करने में इच्छुक हो।

3– लाभार्थी के पास चारा फसल की सिंचाई हेतु पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित हो।

4– पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित कियाशील दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के वो सदस्य जो दुग्ध समिति को एक वर्ष से अधिक समय से दूध आपूर्ति कर रहें हो, को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।

5– अनु0जाति/अनु0जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों एवं महिलाओं की उपलब्धता की दशा में भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

लाभार्थियों के चयन की प्रकियाः–

1– योजना के सुचारु रुप से कियान्वयन एवं लाभार्थी के चयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

2– विकास खण्ड स्तर पर स्थापित पशु चिकित्सालयों पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

3– संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्राप्त सूची को समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4– सूची के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर विकास खण्डवार **पहले आओ तथा पहले पाओ** के आधार पर वरीयता सुनिश्चित की जायेगी।

5– योजना में पूर्व में चयनित लाभार्थियों का चयन न किया जाय।

चयन समिति का गठनः–

पात्र लाभार्थियों का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा–

- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी – **अध्यक्ष**
- सम्बन्धित तहसील का उप–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी – **सदस्य/सचिव**
  (पद रिक्त होने की दशा में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि)
- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी – **सदस्य**

लाभार्थियों की संख्या एवं आच्छादित क्षेत्रफलः–

प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से 75 जनपदों में लगभग 4000 हे0 क्षेत्रफल आच्छादित होगा। प्रति लाभार्थी 0.1 हे0 की दर से कुल 40000 लाभार्थियों को चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी लाभार्थी द्वारा 0.1 हे0 से अधिक तथा 0.5 हे0 तक चारा बीज लिये जाने पर अथवा चारा बीज के मूल्य में बृद्धि या कमी होने पर लाभार्थियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

प्रति लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशिः–

चयनित लाभार्थियों को नगद धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। नगद धनराशि के स्थान पर 0.1 हेक्टेयर में खरीफ/रबी/जायद में बुवाई हेतु पृथक–2 चयनित लाभार्थी को कुल मिलाकर अनुमानित रू0 500.00 के समतुल्य चारा बीज मिनीकिट उपलब्ध कराया जायेगा। **वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के समय जो मौसम चारा फसलों के अनुकूल रहेगा, उसी फसल के चारा बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

कार्यक्रम पर कुल अनुमानित व्ययः–

प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 जनपदों में अनुमानित 4000 हे0 क्षेत्रफल आच्छादन हेतु प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर की दर से अनुमानित 40000 लाभार्थियों को चारा बीज उपलब्ध कराने पर कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो सौ लाख मात्र) का व्यय अनुमानित है।

योजना का अनुश्रवण–

योजना के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं योजना के सफल संचालन/क्रियान्वयन की समीक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2 का होगा। योजना के संचालन/क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2 संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें। योजना का संचालन/क्रियान्वयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने अधीनस्थ उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी तथा कार्यरत चारा निरीक्षकों के सक्रिय सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी/सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। चारा बीज मिनीकिट वितरण का पूर्ण लेखा–जोखा (रिकार्ड) सम्बन्धित पशु चिकित्सालय तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में रखा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का होगा, जिसमें लाभार्थियों की सूची निम्न प्रारूप पर तैयार कर रखी जायेगी साथ ही उक्त सूचना निदेशालय को भी संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी।

क0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का पता	लाभार्थी की श्रेणी (सामान्य/अ0पि0व0/अनु0जा0 एवं अनु0जनजा0)	लघु/सीमांत/अन्य कृषक	चयनित क्षेत्रफल हे0 में	उपलब्ध कराई गयी सामग्री का नाम एवं मात्रा	लाभार्थी का आधार नं0	उपलब्ध दुधारू पशुओं की संख्या	वितरण की तिथि	लाभार्थी का मोबाइल नं0	लाभार्थी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11

PDO JDA(T)

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (AFDP) में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

प्रति इकाई लागत–रू0 5000.00 प्रति हे0

मानक मद–43–सामग्री एवं सम्पूर्ति

क्र0सं0	जनपद / मण्डल का नाम	प्रस्तावित क्षे0 (हे में)*	लाभार्थियों की सं0	अनुमानित धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5
1	मेरठ	105	1050	525000
2	बागपत	88	880	440000
3	बुलन्दशहर	115	1150	575000
4	गाजियाबाद	48	480	240000
5	गौतमबुद्धनगर	40	400	200000
6	हापुड़	52	520	260000
	योग मेरठ मण्डल	448	4480	2240000
7	झॉसी	16	160	80000
8	जालौन	20	200	100000
9	ललितपुर	16	160	80000
	योग झॉसी मण्डल	52	520	260000
10	मुरादाबाद	80	800	400000
11	अमरोहा	64	640	320000
12	रामपुर	80	800	400000
13	विजनौर	84	840	420000
14	सम्भल	60	600	300000
	योग मुरादाबाद मण्डल	368	3680	1840000
15	आगरा	104	1040	520000
16	फिरोजाबाद	62	620	310000
17	मथुरा	70	700	350000
18	मैनपुरी	66	660	330000
	योग आगरा मण्डल	302	3020	1510000
19	अलीगढ	80	800	400000
20	हाथरस	65	650	325000
21	एटा	65	650	325000
22	कासगंज	50	500	250000
	योग अलीगढ मण्डल	260	2600	1300000
23	हमीरपुर	20	200	100000
24	महोबा	16	160	80000
25	बॉदा	20	200	100000
26	चित्रकूट	16	160	80000
	योग चित्रकूटधाम मण्डल	72	720	360000
27	इटावा	65	650	325000
28	औरैया	50	500	250000
29	फर्रुखाबाद	65	650	325000

30	कन्नौज	52	520	260000
31	कानपुर नगर	40	400	200000
32	कानपुर देहात	50	500	250000
योग कानपुर मण्डल		322	3220	1610000
33	प्रयागराज	64	640	320000
34	कौशाम्बी	42	420	210000
35	फतेहपुर	52	520	260000
36	प्रतापगढ	50	500	250000
योग प्रयागराज मण्डल		208	2080	1040000
37	मुजफ्फरनगर	100	1000	500000
38	सहारनपुर	120	1200	600000
39	शामली	80	800	400000
योग सहारनपुर मण्डल		300	3000	1500000
40	बहराइच	48	480	240000
41	श्रावस्ती	24	240	120000
42	गोण्डा	48	480	240000
43	बलरामपुर	24	240	120000
योग देवीपाटन मण्डल		144	1440	720000
44	गोरखपुर	64	640	320000
45	महाराजगंज	42	420	210000
46	देवरिया	52	520	260000
47	कुशीनगर	42	420	210000
योग गोरखपुर मण्डल		200	2000	1000000
48	बस्ती	42	420	210000
49	सन्तकबीरनगर	30	300	150000
50	सिद्वार्थनगर	34	340	170000
योग बस्ती मण्डल		106	1060	530000
51	आजमगढ	60	600	300000
52	मऊ	40	400	200000
53	बलिया	40	400	200000
योग आजमगढ मण्डल		140	1400	700000
54	वाराणसी	40	400	200000
55	चन्दौली	32	320	160000
56	जौनपुर	60	600	300000
57	गाजीपुर	60	600	300000
योग वाराणसी मण्डल		192	1920	960000
58	मिर्जापुर	24	240	120000
59	संतरविदासनगर	24	240	120000
60	सोनभद्र	20	200	100000
योग मिर्जापुर मण्डल		68	680	340000
61	लखनऊ	52	520	260000
62	उन्नाव	26	260	130000
63	रायबरेली	48	480	240000

PDO JD(T)

64	सीतापुर	44	440	220000
65	हरदोई	44	440	220000
66	लखीमपुर	56	560	280000
योग लखनऊ मण्डल		270	2700	1350000
67	अयोध्या	56	560	280000
68	अम्बेडकरनगर	48	480	240000
69	सुल्तानपुर	48	480	240000
70	बाराबंकी	52	520	260000
71	अमेठी	40	400	200000
योग अयोध्या मण्डल		244	2440	1220000
72	बरेली	80	800	400000
73	बदायूँ	72	720	360000
74	शाहजहांपुर	80	800	400000
75	पीलीभीत	72	720	360000
योग बरेली मण्डल		304	3040	1520000
कुलयोग		**4000**	**40000**	**20000000**

*प्रस्तावित क्षेत्रफल का जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण जनपद में उपलब्ध चारा फसलों के अधीन क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति एवं सिचाई की व्यवस्था आदि को देखते हुए निर्धारित किया गया है।

निदेशक
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ